न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, आई०ए०एस० (प्रशि०)

प्रकरण संख्या : 32 / 19

1 शान्ति देवी पत्नि गोपाल, जाति धाकड़, निवासी किशनपुरा कैथून,

प्रार्थिया

बनाम

1 आत्माराम आत्मज देवा, जाति धाकड़, निवासी किशनपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2 मोहनलाल आत्मज देवा, जाति धाकड़, निवासी किशनपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा

अप्रार्थीगण

एवं

प्रकरण संख्या : 36ए / 19

1 आत्माराम
2 मोहनलाल

पिसरान देव्या, जाति धाकड़, निवासी ग्राम किशनपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

प्रार्थीगण

बनाम

1 राजेन्द्र कुमार आत्मज गोपाल नागर, जाति धाकड़
2 नन्दलाल आत्मज महेन्द्र नागर, जाति धाकड़
3 सत्यनारायण आत्मज गोपाल नागर, जाति धाकड़
4 हरिओम आत्मज राजेन्द्र प्रसाद नागर, जाति धाकड़

निवासीगण ग्राम किशनपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 26.12.2019

उपस्थित : श्री सूरज यादव, अभिभाषक शान्ति
श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक आत्माराम

निर्णय

1. उपरोक्त दोनों प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया गया तथा उनके साथ ही धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

2. *प्रथम प्रकरण (संख्या 32 / 19) में प्रार्थिया द्वारा निवेदन किया गया कि –*

○ वह ग्राम किशनपुरा कैथून के खसरा नम्बर 55 रकबा 0.58 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 322 रकबा 4.59 हैक्टर की खातेदार कृषक है और खसरा नम्बर 322 के चारों ओर तारों की बाड़ लगा रखी है। अप्रार्थीगण प्रार्थिया की आराजी खसरा नम्बर 322 में लगी बाड़ को हटाकर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण झगड़ालू किस्म के मुकदमें

सहायक कलेक्टर
(मुख्यालय) कोटा

राजी करने वाले व्यक्ति है, जिन्होने एक गिरोह बना रखा है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थिनी की आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया तो प्रार्थिनी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकेगी। प्रार्थिनी का केस प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थिनी के पक्ष में प्रबल है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

- अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थिया द्वारा अपनी आराजी के चारों ओर कोई बाड आदि नहीं लगा रखी है। सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 90 रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा के स्थान पर खसरा नम्बर 322 रकबा 4.59 हैक्टर दर्ज करवा लिया। इस प्रकार प्रार्थिया ने सेटलमेन्ट विभाग से 0.59 हैक्टर रकबा अधिक दर्ज करवा लिया। प्रार्थिया द्वारा बढे हुये रकबे के अनुसार कब्जा प्राप्त करने के ध्येय से असत्य तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण शान्तिप्रिय एवं सम्मानित व्यक्ति है जो हमेशा की भांति आज भी समीपवर्ती खसरा नम्बर 342 पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25.06.2019 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थिया व उसके पुत्रों की उपस्थिति में अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 342 की पैमाईश की गई। उक्त पैमाईश की सीमा तक ही अप्रार्थीगण हमेशा की भांति आज भी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा न तो प्रार्थिया की आराजी पर कब्जा किया गया है और न प्रार्थिया की आराजी को किसी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाया गया है। अतः प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 निरस्त करने के आदेश प्रदान करावे।

3. *द्वितीय प्रकरण (संख्या 36ए/19) में प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि –*

- प्रार्थीगण की दहिन सीजू बाई के शामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम किशनपुरा कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में खसरा नम्बर 289 रकबा 1.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.98 हैक्टर, खसरा नम्बर 342 रकबा 2.88 हैक्टर, कुल तीन किता की 5.25 हैक्टर आराजी स्थित है।
- प्रार्थीगण ग्रामीण काश्तकार पेशा व्यक्ति है तथा अपनी आराजी के एकमात्र बतौरिया खातेदार प्रार्थना पत्र की मद में वर्णित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की आराजी से अप्रार्थीगण का कोई वास्ता नहीं है और न ही प्रार्थीगण की आराजी से अप्रार्थीगण से कभी कोई सम्बन्ध ही रहा है।
- प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी की दिनांक 25.06.2019 को खसरा नम्बर 342 रकबा 2.88 हैक्टर की हल्का पटवारी से पैमाईश करवायी तथा पत्थरगढ़ी करवाई। उसी आराजी पर प्रार्थीगण आज भी काबिज होकर काश्त कर रहे है।
- अप्रार्थीगण ताकत के बल पर प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 342 रकबा 2.88 हैक्टर आराजी में बिना अधिकार व स्वत्व के हस्तक्षेप करते है, फसल को नष्ट करने की धमकी देते है तथा जबरन कब्जा करने को कहते है। अप्रार्थीगण कभी भी प्रार्थीगण की

सचिव/कलेक्टर
(भू-प्रबन्ध) कोटा

कुल तीन किता का 5.25 हैक्टर
आराजी स्थित है।

फसल को नष्ट कर सकते है तथा आराजी में हस्तक्षेप कर जबरन कब्जा कर सकते है। यदि अप्रार्थीगणों ने प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर ताकत के बल पर फसल नष्ट कर कब्जा कर खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थीगणों को अपार क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में कभी नहीं कर सकेंगे।

- ○ अतः नाफैसला वाद अप्रार्थीगणों के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 342 रकबा 2.88 हैक्टर को खुर्द बुर्द करने का प्रयास नहीं करें। शान्ति से काश्त करने दे।
- ○ प्रस्तुत प्रकरण में सीधे ही बहस सुनी गई।

4. इस न्यायालय में प्रथम प्रकरण "शान्ति बनाम आत्माराम" पेश होने पर उसके साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने उपस्थिति देकर आगामी पेशी पर वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किये जाने हेतु समय दिये जाने का निवेदन किया गया। बहस के कथनों का मनन करने पर प्रथम दृष्टया प्रकरण में तत्कालीन सहाय दिया जाना उपर्युक्त प्रतीत हुआ, फलस्वरूप अभिभाषक की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आलोचनात्मक अवलोकन अध्ययन करने के उपरान्त प्रकरण में आगामी पेशी तक के लिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तथा अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किये जाने हेतु अवसर दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब के साथ ही एक अन्य वाद "आत्माराम बनाम सालेरा" का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रथम वाद की वादिया के अभिभाषक द्वारा उक्त दूसरे प्रार्थना पत्र का जवाब न देकर सीधे ही बहस सुनने का निवेदन किया गया, जिसमें द्वितीय वाद के अभिभाषक द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई तथा बहस प्रार्थना पत्र सुने जाने हेतु निवेदन किया गया।

5. ➢ उभयपक्ष अभिभाषकगणों की उनके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर बहस सुनी गई। अभिभाषकगणों द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया गया तथा सम्बन्धित अप्रार्थीगण के विरूद्ध नाफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

➢ प्रकरण के कथित बिन्दुओं पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रथम प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा अपनी विवादित आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 4.59 हैक्टर पर तथा द्वितीय प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी विवादित आराजी खसरा नम्बर 342 रकबा 2.88 हैक्टर को खुर्द-बुर्द नहीं करने बाबत अनुतोष चाहा गया है, जबकि दोनों पक्षकारों के हिस्से में उक्त विवादित खसरा नम्बरान (322 व 342) के अतिरिक्त भी अन्य खसरा नम्बरान की आराजी मौजूद है परन्तु इनके द्वारा पारस्परिक एक-दूसरे के विरूद्ध – खसरा नम्बर 322 एवं 342 के लिये ही सहायता चाही गई है। उक्त प्रकरणों दो में प्रार्थना पत्र सम्बन्धित वादी द्वारा धारा 188 के वादपत्र के साथ प्रस्तुत किये गये

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

5.25 हैक्टर
आराजी स्थित है।

हैं क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने-अपने खसरा नम्बरान के खातेदार काश्तकार हैं और विधिसम्मत तथ्य भी यही है कि किसी भी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार अपनी आराजी की सुरक्षा के लिये धारा 183 आरटीए का वादपत्र पेश किये जाने तथा दौराने वाद तत्कालीन राहत हेतु धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किये जाने हेतु स्वतन्त्र है।

- ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त दोनों खसरा नम्बरान के मौका नक्शा का अवलोकन करने पर हम पाते है कि विवादित खसरा नम्बरान एक-दूसरे से लगता है।
- प्रथम प्रार्थना पत्र "शान्ति बनाम आत्माराम" के अप्रार्थीगण की ओर से पेश जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय काउण्टर क्लेम में अवगत कराया है कि प्रार्थिया शान्ति की आराजी के गत खसरा नम्बर की आराजी में रकबा बढाया गया है. ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की आराजी में सेटलमेन्ट के पूर्व अथवा पश्चात में रकबे के घटे या कम होने का तुलनात्मक अध्ययन उसके गत रकबे एवं वर्तमान रकबे की तुलना करने पर ही ज्ञात किया जाना संभव है, जिसके लिये न्यायालय पत्रांक 2107 दिनांक 21.08.2019 से तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा से रकबे में हुये परिवर्तन तथा वर्तमान मौका स्थिति बाबत सूचना चाही गई। इसके अन्तर्गत तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 322 का गत खसरा नम्बर 90 तथा खसरा नम्बर 342 का गत खसरा नम्बर 88 मि. था। सेटलमेन्ट के पूर्व की जमाबन्दी संवत 2032-35 के अनुसार गत खसरा नम्बर 88 का रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा तथा गत खसरा नम्बर 90 का रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा दर्ज था। वर्तमान खसरा नम्बर 342 रकबा 2.88 हैक्टर के गत खसरा नम्बर 88 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा के अनुसार मैट्रिक पद्धति में लगभग 2.75 हैक्टर बनते है, इस प्रकार खसरा नम्बर 342 का रकबा, गत रकबे के मुकाबले 0.13 हैक्टर बेशी है।
- उपरोक्त प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित मूल वाद जवाब के स्तर पर है। ऐसी परिस्थिति में राजस्व अभिलेख के इन्द्राज के आधार पर पक्षकारान के विवाद का तत्कालीन समाधान अस्थायी राहत के रूप में किया जा सकता है। उपरोक्त दोनों वादपत्रों के वादी अपनी अपनी 'विवादित आराजी' के रिकार्डेड खातेदार है अर्थात विवादित आराजी उनके खाते दर्ज रिकार्ड है। दोनों ही पक्षकार अपनी-अपनी आराजी (वर्तमान खसरा नम्बर 322 व 342) पर काबिज काश्त भी है। जिस पक्षकार का विवादित आराजी पर कब्जा प्रमाणित हो तथा वह अपनी आराजी का खातेदार हो तो उसके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है।
- अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में मजरूती काश्तकार पक्षकारान के मध्य होने वाले विवाद की स्थिति को देखते हुये प्रकरण संख्या 32 / 19 के प्रार्थिया

6/12/19.
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

शान्तिवाई के पक्ष में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जारी की जाती है कि उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थिया की आराजी खसरा नम्बर 322 को तथा प्रकरण संख्या 36ए/19 के प्रार्थीगण आत्माराम व मोहनलाल के पक्ष में अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 4 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जारी की जाती है कि उक्त अप्रार्थीगण, प्रार्थीगणों की आराजी खसरा नम्बर 342 को ताफैसला वाद खुर्द बुर्द करने का प्रयास नहीं करे, प्रार्थीगण के काश्तकाश्त में मजाहमत व मदाखलत नहीं करे तथा प्रार्थीगण को उनके खाते की आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करने दें। उपरोक्त दोनों खसरा नम्बरान 322 व 342 के राजस्व अभिलेख में दर्ज रकबे एवं मौके की दिनांक 24.06.2019 के पूर्व की स्थिति यथावत बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश) 26/12/19
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा
(मुख्यालय) कोटा